

समझौता ज्ञापन

मॉयल लिमिटेड

एवं

इस्पात मंत्रालय  
भारत सरकार

के मध्य

समझौता ज्ञापन

2022-23



मॉयल लिमिटेड

“मॉयल भवन“, १-ए, काटेल रोड,  
नागपुर - ४४० ०१३.



## सूचकांक

| अनु<br>क्रमांक | विवरण                                                        | पृष्ठ सं |
|----------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 1              | मॉयल के बारे में संक्षिप्त विवरण<br>(अनु – अ)                | 1-3      |
| 2              | प्रदर्शन के मूल्यांकन पैरामीटर और लक्ष्य<br>(एम ओ यू लक्ष्य) | 4-5      |

सीपीएसई के संबंध में संक्षिप्त विवरण

|   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | सीपीएसई का नाम                                                                                                                                                         | मॉयल लिमिटेड                                                                                                                                                                                   |
| 2 | डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थिति                                                                                                                               | मिनिरत्न - कैटेगरी 1                                                                                                                                                                           |
| 3 | सीपीएसई शेड्यूल को                                                                                                                                                     | शेड्यूल-ए                                                                                                                                                                                      |
| 4 | जिस उद्देश्य के लिए सीपीएसई को स्थापित किया गया है और मुख्य व्यवसाय                                                                                                    | मैंगनीज अयस्क का उत्खनन एवं बिक्री                                                                                                                                                             |
| 5 | वर्ष 2020-21 के दौरान कोई भी पूंजी पुनर्गठन, या शेयरों की खरीद-बिक्री, बोनस शेयर एवं नए शेयर जारी करना, शेयरों का विभाजन और कर पश्चात लाभांश के रूप में दिए गए प्रतिशत | 22.02.2022 को 693.77 करोड़ रुपये की राशि के शेयरों का बाय-बैक किया गया<br><br>वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 122.10 करोड़ रुपये का लाभांश का भुगतान किया गया जो कर पश्चात लाभ का 32.39 प्रतिशत है |
| 6 | क्या शेयर सुचिबद ( यदि हाँ, स्टॉक एक्सचेंज का नाम एवं तारीख के अनुसार शेयर की कीमत)                                                                                    | हाँ<br>एनएसई: 31.03.2022 को 184.35 रुपये<br>बीएसई: 31.03.2022 को 184.35 रुपये                                                                                                                  |
| 7 | वर्ष या पिछले वर्ष (एमओयु वर्ष) के दौरान क्षमता में कोई परिवर्तन                                                                                                       | शून्य                                                                                                                                                                                          |
| 8 | वर्ष या पिछले वर्ष (एमओयु वर्ष) के दौरान किसी भी व्यवसायिक इकाई को बंद कर दिया गया या अलग कर दिया या जोड़ा गया                                                         | शून्य                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | <p>उस क्षेत्र के बारे में संक्षिप्त विवरण जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण, नियामक पर्यावरण, आदि सीपीएसई परिचालन कर रहा है।</p> | <p>मॉयल उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा घरेलू उत्पादक है जो फेरो अलॉय धातु (स्टील बनाने के लिए एक आवश्यक सामग्री) निर्माण के लिए कच्चा माल है एवं शुष्क बैटरी के लिए ईएमडी का निर्माण करता है। मॉयल वर्तमान में 11 खदानों-महाराष्ट्र में स्थिति 7 खदान तथा मध्यप्रदेश में 4 खदानों को प्रचालन कर रहा है।</p> <p>कंपनी के 7 खदानों में खनन कार्य भूमिगत प्रणाली तथा अन्य 4 खदानों में ओपनकास्ट खनन प्रणाली से किया जाता है। तथा बालाघाट एशिया की सबसे गहरी भूमिगत मैंगनीज की खदान है। मॉयल की खदानों पर पिछले कई वर्षों से खनन कार्य गहन क्षितिज पर किए जा रहे हैं।</p> <p>मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित बालाघाट खदान में फेरो मैंगनीज संयंत्र में बिजली की जरूरतों को पूरा करने एवं विविधिकरण उपायों हेतु मॉयल ने वर्ष 2006-07 में मध्य प्रदेश के देवास में 4.80 मेगावाट पवन उर्जा इकाई की स्थापन की है। इसके अलावा दूसरे चरण में, 2007-08 में 15.20 मेगावाट पवन उर्जा इकाई की स्थापन की है तथा दूसरे चरण से उत्पन्न बिजली को मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को बेची जा रही है।</p> <p>मॉयल ने अपनी खानों में सौर ऊर्जा परियोजना, लगाई जिसकी कुल क्षमता 10.50 मेगावाट है।</p> |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                        |                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | यदि मंजूर हो तो पुर्नपरिक्षित योजना का विवरण                                                                           | शून्य                                                                                                        |
| 11 | सांविधिक लेखापरिक्षक के द्वारा की गई कोई विपरित टिप्पणी तथा उसका राजस्व/लाभ/हानि/संपदा/ देयता पर होने वाला प्रभाव      | शून्य                                                                                                        |
| 12 | क्या सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरिक्षक के द्वारा की गई टिप्पणी को देखा गया। यदि नहीं, तो प्रभाव के साथ उसका विवरण दें। | शून्य                                                                                                        |
| 13 | उप कंपनीयो की संख्या एवं नाम के साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान किया गया निवेश एवं उसके लाभ का अंश दर्शाए               | शून्य                                                                                                        |
| 14 | संयुक्त उपक्रम कंपनीयो की संख्या एवं नाम के साथ पिछले पांच वर्षों के दौरान किये गया निवेश एवं उसके लाभ का अंश दर्शाए   | सेल और आरआईएनएल के साथ दो संयुक्त उपक्रम किया गया है। दोनों संयुक्त उपक्रम बंद करने की शुरुआत की जा रही है । |

| मॉयल लिमिटेड (स्टैंडअलोन) एम.ओ.यू. 2022-23 |                                                                        |                 |       |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|
| क्रं.                                      | पैरामीटर के नाम                                                        | ईकाई            | महत्व | लक्ष्य<br>2022-23 |
| 1.                                         | संचालन से राजस्व                                                       | रु. करोड में    | 10    | 1627              |
| 2.                                         | मैगनीज ओर का उत्पादन                                                   | लाख टन          | 8     | 15.40             |
| 3.                                         | इलेक्ट्रोलाइटिक डाइआक्साइड का उत्पादन                                  | टन              | 8     | 1500              |
| 4.                                         | फेरो मैगनीज का उत्पादन                                                 | मिलियन टन       | 7     | 12000             |
| 5.                                         | पूँजीगत व्यय (कैपेक्स)                                                 | रु. करोड में    | 10    | 305               |
| 6.                                         | राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए                                | प्रतिशत         | 10    | 41.80             |
| 7.                                         | कुल मूल्य पर वापसी                                                     | प्रतिशत         | 15    | 17.59             |
| 8.                                         | संपत्ति कारोबार अनुपात                                                 | प्रतिशत         | 5     | 60.09             |
| 9.                                         | टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वीकृति/अस्वीकृति | प्रतिशत         | 5     | 100               |
| 10.                                        | जीईएम से खरीद के रूप में कुल खरीद का प्रतिशत                           | प्रतिशत         | 2     | 25                |
| 11.                                        | संचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य         | दिनों की संख्या | 3     | 30                |
| 12.                                        | अनुसंधान एवं विकास/नवाचार पहलुओं पर व्यय पीबीटी के प्रतिशत के रूप में  | प्रतिशत         | 2     | 2.29              |
| 13.                                        | शेयरधारकों को कुल वापसी (बीएसई 500 इंडेक्स से अधिक)                    | प्रतिशत         | 15    | 0.00              |
| कुल                                        |                                                                        |                 | 100   |                   |

नोट:

- लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 के वास्तविक आंकड़ों पर आधारित हैं।
- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विजन पर भी विचार किया जाता है।
- सीपीएसई के कैपेक्स लक्ष्य – संघ सरकार के बजट दस्तावेज के अनुसार (वक्तव्य 26)।
- अनुसंधान एवं विकास एवं नवोन्मेष पहलों पर व्यय का लक्ष्य वित्त वर्ष 2022-23 के पीबीटी पर आधारित है और उपलब्धि की पुष्टि सीपीएसई के वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर की जानी है।
- टीआरएस पर पैरामीटर को छोड़कर 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की उपलब्धि के लिए प्रस्तावित अंक।
- लक्ष्य के 50.00 प्रतिशत से कम उपलब्धि के लिए कोई अंक नहीं।

| 2022-23 के लिए अनुपालन पैरामीटर |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| क्रं.                           | पैरामीटर                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अंक | स्त्रोत / सत्यापन                                                           |
| 1.                              | सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।                                                                                                                                                                                                                 | -1  | प्रशासनिक मंत्रालय                                                          |
| 2.                              | कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) नियमों) के प्रावधानों का अनुपालन जैसे: (क) निदेशक मंडल की संरचना (ख) बोर्ड समितियां (लेखा परीक्षा समिति आदि) (ग) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना (घ) संबंधित पार्टी लेनदेन (ड) प्रकटीकरण और पारदर्शिता | -3  | सीएजी / सांविधिक / सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय |
| 3.                              | परिसंपत्ति मुद्रीकरण माईलस्टोन पर नीति आयोग द्वारा दिया गया लक्ष्य                                                                                                                                                                                                                            | -1  | नीति आयोग से पुष्टि के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                           |
| 4.                              | (अ) माल और सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद - 25 प्रतिशत                                                                                                                                                                                     | -1  | संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                                  |
| 5.                              | (ब) माल और सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में एससी/एसटी एमएसई के माध्यम से माल या सेवाओं की खरीद - 4 प्रतिशत                                                                                                                                                                            | -1  | संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                                  |
| 6.                              | (स) माल और सेवाओं की कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद - 3 प्रतिशत                                                                                                                                                                            | -1  | संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय                                  |
| 7.                              | सीपीएसई में मानव संसाधन के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य)                                                                                                                                                              | -1  | प्रशासनिक मंत्रालय                                                          |

उप मिह

सीएमडी/एमडी मॉयल लिमिटेड  
दिनांक -

सचिव, इस्पात मंत्रालय  
दिनांक -

---

## System Generated - MoU Dashboard

Digitally Signed By:Ministry of  
Steel  
Date: 06-12-2022  
11:05 am